

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर


कमांक:-ई-32/स्वा./स्वा.निरी.(1020)/2017/

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ11-(7)एफ.डी/नियम /2008 दिनांक 12.09.08, एफ.14(88)वित्त (नियम)/2008-टी दिनांक 31.12.2009 एवं 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री महेश कुमार सिहाग, स्वास्थ्य निरीक्षक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन जिला	संवर्ग में प्रथम नि० तिथि	एसीपी स्वीकृत तिथि	27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय पै बैण्ड व ग्रेड पे
1.	श्री महेश कुमार सिहाग	झुंझुनू	28.02.1987	28.02.2014 (27 वर्ष)	पै बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे 4800



(राकेश शर्मा)
अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

कमांक:-ई-32/स्वा./स्वा.निरी.(1020)/2017/489

दिनांक:-7/11/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को उनके पत्र कमांक 1011 दिनांक 05.09.2017 के सन्दर्भ में।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रशासक, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश पत्रावली।


अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।